कार्यालय नगरपालिका मण्डल नीमकाथाना (सीकर)
बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 03.08.2015 को प्रातः 11.00 बजे से नीमकाथाना नगरपालिका मण्डल की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष श्री त्रिलोक दीवान की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गयी। जिसमें निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित रहे :-

1	माननीय श्रीमान् त्रिलोक दीवान	अध्यक्ष
2	‘’ ‘’ राजेन्द्र कुमार	उपाध्यक्ष
3	‘’ श्रीमति विधा	सदस्या
4	‘’ श्रीमान् महेन्द्र	सदस्य
5	‘’ श्रीमती कमला	सदस्या
6	‘’ ‘’ अणची	सदस्या
7	‘’ श्रीमान् हीमेश कुमार	सदस्य
8	‘’ ‘’ रतन	‘’
9	‘’ श्रीमती सन्तोष	सदस्या
10	‘’ श्रीमान् जयप्रकाश	सदस्य
11	‘’ ‘’ रूड़मल	‘’
12	‘’ ‘’ लेखराज	‘’
13	‘’ श्रीमति अंजु देवी	सदस्या
14	‘’ श्रीमान् रमेश	सदस्य
15	‘’ ‘’ जयचन्द	‘’
16	‘’ ‘’ छगनलाल	‘’
17	‘’ ‘’ बाबूलाल	‘’
18	‘’ ‘’ शम्भूदयाल	‘’
19	‘’ श्रीमती विद्या	सदस्या
20	‘’ श्रीमान् शशिकान्त	सदस्य
21	‘’ ‘’ गिगाराम	‘’
22	‘’ श्रीमति तीजा देवी	सदस्या
23	‘’ श्रीमान् गिरधारी	सदस्य
24	‘’ श्रीमती मोनू	सदस्या

गणपूर्ति पश्चात बैठक आरम्भ की गयी। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन के समक्ष भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व0 श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के असामयिक निधन पर दौ मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा को श्रद्धांजली देने का निर्णय किया, तथा समस्त सदन द्वारा खड़े होकर दौ मिनट का मौनधारण कर, स्व0 श्री कलाम की महान आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की गई।

तत्पश्चात्त बैठक की कार्यवाही पूर्व निर्धारित एजेंडा अनुसार शुरू की गई। जो निम्नानुसार रही:-

प्र. सं. 1. खेतड़ी मोड़ से रेलवे फाटक तक यातायात व्यवस्था पर विचार :-

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया कि खेतड़ी मोड़ से रेलवे फाटक, कपिल मण्डी, सुभाष मण्डी व रामलीला मैदान में दिन के समय में यातायात जाम की स्थिति बनीं रहती है तथा आमजनों के द्वारा सड़कों पर वाहन खड़े कर दिये जाते हैं, जिससे हर वक्त यातायात अवरूद्ध रहता है। यातायात व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में व्यापार मण्डलों, आदि के प्रतिनिधियों के साथ मण्डल बैठक दिनांक 17.04.2015 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में दिनांक 27.07.2015 को बैठक रखी गयी जिसमें हुयी चर्चा एवं सुझावों से सदस्यगणों को अवगत कराया गया। इस पर चर्चा में भाग लेते हुये श्री महेन्द्र गोयल, नेता विपक्ष ने जानना चाहा कि यातायात की व्यवस्था समस्त शहर के लिये है या मुख्य मार्गों के लिए है। इस पर अध्यक्ष महोदय

ने कहा कि उपरोक्त वर्णित स्थानों पर यातायात जाम की गम्भीर समस्या है। जिस पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जाना है। इस समस्या पर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी, तथा समस्या के निदान हेतु निर्णय करने के लिए अपनी सहमति जतायी। चर्चा के दौरान श्री छगनलाल सदस्य द्वारा कहा गया कि खेतड़ी मोड़ चौराहे पर छोटी गुमटी बनायी जावे, यातायात पुलिस की व्यवस्था की जावे। इस पर श्री महेन्द्र गोयल द्वारा कहा गया कि जगह कम होने से गुमटी बनाया जाना संभव नहीं है।

सभी सदस्यगणों द्वारा समस्या में सुधार हेतु अपने–अपने विचार प्रस्तुत किये गये एवं गहन मंथन किया गया। बाद विचार विमर्श सदन द्वारा सर्वसम्मति से राज0 नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 252 व 253 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. **नो पार्किंग जोन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के लिये :–**खेतड़ी मोड़ चोराहे को अतिक्रमण मुक्त करवाकर चोराहे पर स्थित बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, पेड़ इत्यादि नियमानुसार हटवाये जाकर समस्त खेतड़ी मोड़ चोराहे को, भूदोली रोड़, कोटपूतली रोड़ तथा खेतड़ी रोड़ पर चोराहे के बीच से 150 मीटर तक तथा शाहपुरा रोड़ पर रेलवे फाटक, कमला मोदी मार्केट तक चोपहिया व तिपहिया वाहनों के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया जाता है।
2. कपिल मण्डी मुख्य सड़क तथा दुकानों के सामनें स्थित चबूतरों तक चोपहिया व तिपहिया वाहनों के लिए तथा मुख्य सड़क पर दुपहिया वाहनों के लिए भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नो पार्किंग जोन घोषित किया जाता है। सुभाष मण्डी मुख्य सड़क व रामलीला मैदान से शाहपुरा रोड़ तक की सड़क को भी नो पार्किंग जोन घोषित किया जाता है।
3. कपिल मण्डी में, सुभाष मण्डी में व शाहपुरा रोड़ से रामलीला मैदान को जाने वाली सड़क से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सभी मालवाहक वाहनों व बसों की नो एंट्री क्षेत्र घोषित किया जाता है।
4. छोटे सवारी वाहनों के लिए गायत्री मन्दिर के पास पालिका भूमि पर पालिका द्वारा पूर्व में करवाया गया निर्माण कार्य जो कि अब बेकार हो चुका है, तथा अतिक्रमण कोई हो तो हटवाया जाकर चारदीवारी लगवायी जावे, तथा पेशाबघर का निर्माण करवाया जावे तथा छोटे सवारी वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र घोषित किया जाता है, इसके अतिरिक्त पुराने बस स्टेण्ड पर मुख्य सड़क के रास्ते को छोड़कर तथा दुकानों के आगे चबूतरे की जगह छोड़कर पार्किंग क्षेत्र, सैनी होटल के सामने बड़ के पेड़ के दोनो तरफ सीमा निर्धारित की जाकर तथा कुछ क्षेत्र जो कच्चा है, उससे पक्का करवाया जाकर, पालिका की भूमि जो कि सब्जी मण्डी के नाम से जानी जाती है, उसके आवश्यक चारदीवारी लगवायी जाकर आवश्यकतानुसार फिलिंग करवायी जाकर तथा पेशाब घर बनवाया जावे तथा उक्त क्षेत्र को दुपहिया वाहनो के लिए, कपिल मूर्ति से शहीद जे.पी. यादव पार्क तक अतिक्रमण हटवाया जाकर एक लाइन में एक–एक गाड़ी की पार्किंग, कपिल मण्डी में गोयल टैन्ट हाउस के सामनें से देवकरण पान वाले की दुकान तक अतिक्रमण मुक्त करवायी जाकर दुकानों के चबूतरो से 15 फुट जगह छोड़कर, कपिल मूर्ति के पिछे रखे कियोस्कों को अन्यत्र स्थानान्तरित करवाया जाकर तथा अतिक्रमण मुक्त करवाकर उस स्थान को, शाहपुरा रोड़ पर बिजली बोर्ड कार्यालय की चारदीवारी के बाहर अतिक्रमण हटवाकर पुराने स्टेट बैंक की चार दीवारी के साथ साथ समस्त क्षेत्र को पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने पर पार्किंग सुविधा क्षेत्र घोषित किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार समस्त कार्यों पर किये जाने वाले व्यय की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. नो एंट्री समय में ट्रक से छोटे माल वाहक वाहनों के लिए पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क देकर एक घण्टे के लिए एंट्री दी जा सकेगी, तथा समय अधिक लगने पर अधिक समयानुसार पैनल्टी ली जायेगी। इसी प्रकार बड़े ट्रकों के लिए भी पालिका द्वारा निर्धारित

शुल्क लेकर 3 से 4 घंटे के लिए नो एंट्री समय में छूट तथा लोडिंग / अनलोडिंग के लिए पार्किंग में छुट दी जायेगी।

6. नो पार्किंग क्षेत्र में किसी व्यक्ति / संस्था / कम्पनी / फर्म द्वारा (राज्य सरकार व केन्द्रिय सरकार के विभागों के वाहनों, नगरपालिका अथवा उससे अनुबन्धित वाहनों, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के वाहनों को छोड़कर) वाहन पार्क किये जाने की स्थिति में पालिका द्वारा निर्धारित पैनल्टी वसूल करके रसीद देगी।
7. उपरोक्त नो एंट्री, नो पार्किंग व पार्किंग की व्यवस्था के संचालन के लिए पालिका द्वारा राज्य स्तरीय दौ दैनिक अखबारों में विज्ञप्ति दी जाकर निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा निविदा का आमंत्रण खुली बोली के द्वारा किया जावेगा।
8. उक्त निर्णय की पालना हेतु संबंधित विभागों / प्रशासनिक अधिकारीयों को लिखा जाने का निर्णय लिया गया।
9. उपरोक्त से सम्बन्धित सभी निर्णयों, शुल्क निर्धारण, निविदा की शर्तें, पार्किंग स्थल की सीमायें, पार्किंग क्षेत्रों का बदलाव व अन्य सभी प्रकार के उपरोक्त सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

   इसमें निम्न सदस्य होंगे।

   1. श्री राजेन्द्र महरानियां (उपाध्यक्ष)
   2. श्री महेन्द्र गोयल (नेता विपक्ष)
   3. श्री शशिकान्त मोदी (अध्यक्ष भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति)
   4. श्री जयप्रकाश शर्मा (वरिष्ठ सदस्य)
   5. अधिशाषी अधिकारी (सदस्य सचिव)

   इस प्रकार उक्त समिति को समस्त व्यवस्थाओं के बारे में निर्णय लिये जाने हेतु समस्त अधिकार प्राप्त होंगें।

बाद सधन्यवाद अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

एसडी
अध्यक्ष
नगरपालिका नीमकाथाना

एसडी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

क्रमांकःन0पा0नीम0 / 2015—16 / दिनांकः

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान् उपशासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक(क्षैत्रीय)महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नीमकाथाना।
5. माननीय श्री प्रेमसिंह बाजोर, विधायक महोदय, नीमकाथाना।
6. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
7. श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
8. श्रीमान् वार्ड पार्षद श्री / श्रीमती...।
9. समस्त शाखा प्रभारी को पालनार्थ।
10. गार्ड पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना